

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ करधान (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ करधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, शीघ्र नाम
प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ करधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 12 सन् 2002) है.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.
- (3) यह शासकीय राज्यपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
क्रमांक 15 सन् 1982
का अन्वयार्थ रूप से
संशोधित किया जाना.

2. छत्तीसगढ़ करधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी.

धारा 7 का संशोधन.

3. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द "दो प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "तीन प्रतिशत" स्थापित किया जाएगा.

रायपुर:
तारीख :

भारतसाधक सदस्य

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3053/21-अ/प्रारूपण/01.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ करधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 12 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उज्ज्वेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No.12 of 2002)

THE CHHATTISGARH KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

An Act further to amend the Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

- | | | | |
|----|-----|---|--|
| 1. | (1) | This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 12 of 2002). | Short title, Extent and Commencement. |
| | (2) | It extends to the whole of Chhattisgarh State. | |
| | (3) | It shall come in to force from the date of publication in the official Gazette. | |
| 2. | | The Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3. | Chhattisgarh Act No. 15 of 1982 to be temporarily amended. |
| 3. | | In sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act, for the words "two percent" the words "three percent" shall be substituted. | Amendment of Section 7. |

Raipur :

Member-in-charge

Dated :